बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

क्रमांक/पशु अनु./2022–23/ 17324 दिनांक 07/12/22

(ई–निविदा सूचना 01 2022–23)

बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र को रेबीज मुक्त करनें के उद्धेश्य से पकड़े गये आवारा श्वान (नर/मादा) को बंध्याकरण करनें एवं रेबीज टीकाकरण करनें हेतु 02 पशु चिकित्सक, 04 पशु कंपाउडर एवं 04 सहायक कार्मिक (अर्द्धकुशल) की आपूर्ति एजेन्सी के माध्यम से पंजीकृत फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बधित विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan .gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबवाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

निविदा का कुल अनुमानित लागतः– 30 लाख

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

क्रमांक/पशु अनु./2022–23/ 17324-28 दिनांक 07/12/22

प्रतिलिपिः–

1. माननीय महापौर महोदया, नगर निगम बीकानेर।
2. उप–महापौर महोदय, नगर निगम बीकानेर।
3. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा का प्रकाशनः–
   - एक मुख्य क्षेत्रीय दैनीक सामाचार पत्र में।
   - एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक सामाचार पत्र एवं अखिल स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में RTPP नियमानुसार प्रकाशित करने का श्रम करावें एवं Intimation नगर निगम बीकानेर की ई–मेल आईडी nagarnigambikaner@gmail.com, पर भिजवाने का श्रम करें।
4. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रकाशन करावें।
5. नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

क्रमांक/पशु अनु./2022–23/ 17324 दिनांक 07/12/22

(ई–निविदा सूचना 01 2022–23)

बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र को रेबीज मुक्त करनें के उद्धेश्य से पकड़े गये आवारा श्वान (नर/मादा) को बंध्याकरण करनें एवं रेबीज टीकाकरण करनें हेतु 02 पशु चिकित्सक, 04 पशु कंपाउडर एवं 04 सहायक कार्मिक (अर्द्धकुशल) की आपूर्ति एजेन्सी के माध्यम से पंजीकृत फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बधित विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan .gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबवाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

निविदा का कुल अनुमानित लागतः– 30 लाख

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

क्रमांक/पशु अनु./2022–23/ 17329 दिनांक 07/12/22

(ई–निविदा सूचना 01 2022–23)

बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र को रेबीज मुक्त करनें के उद्धेश्य से पकड़े गये आवारा श्वान (नर/मादा) को बंध्याकरण करनें एवं रेबीज टीकाकरण करनें हेतु 02 पशु चिकित्सक, 04 पशु कंपाउडर एवं 04 सहायक कार्मिक (अर्द्धकुशल) की आपूर्ति एजेन्सी के माध्यम से पंजीकृत फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बधित विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan .gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबवाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

1	निविदा कार्य	बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र को रेबीज मुक्त करनें के उद्धेश्य से पकड़े गये आवारा श्वान (नर/मादा) को बंध्याकरण करनें एवं रेबीज टीकाकरण करनें हेतु 02 पशु चिकित्सक, 04 पशु कंपाउडर एवं 04 सहायक कार्मिक (अर्द्धकुशल) की आपूति।
2	निविदा की कुल अनुमानित लागत	30/– लाख
03	कार्य की कुल समय अवधि	01 वर्ष
3	ऑनलाईन निविदा फोर्म मिलने की तिथि	दिनांक 08/12/22 को 9.30 बजे से 17/12/22, 18:00 बजे तक
04	ऑनलाईन निविदा फोर्म जमा कराने की तिथि	दिनांक 08/12/22 को 9.30 बजे से 17/12/22, 18:00 बजे तक
05	ऑनलाईन तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 19/12/22 को दोपहर 3 बजे के बाद
06	ऑनलाईन वितिय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड में सफल फर्मो की ही वितीय बिड खोली जायेगी जिसके लिये अलग से सुचना दी जायेगी

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर
दिनांक 07/12/22

क्रमांक/पशु अनु./2022–23/ 17329–36

प्रतिलिपि:–

1. श्रीमान् निदेशक एवं सयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् महापौर महोदया, नगर निगम बीकानेर।
3. जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर।
4. श्रीमान् उप महापौर, नगर निगम बीकानेर।
5. श्री उपायुक्त, नगर निगम बीकानेर।
6. श्रीमान् मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम बीकानेर।
7. श्री कोषाधिकारी, बीकानेर।
8. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

कार्य का नाम– बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र को रेबीज मुक्त करनें के उद्धेश्य से पकड़े गये आवारा श्वान (नर/मादा) को बंध्याकरण करनें एवं रेबीज टीकाकरण करनें हेतु 02 पशु चिकित्सक, 04 पशु कंपाउडर एवं 04 सहायक कार्मिक (अर्द्धकुशल) की आपूर्ति।

1. **पात्रता की शर्तें तकनीकी बिड :–** निविदा में भाग लेने वाली फर्मो की तकनीकी जॉच निम्न बिन्दुओ के आधार पर की जायेगी उक्त बिन्दुओ अनुसार सफल निविदादाता की ही वितीय बिड खोली जायेगी।

क्रं.सं	दस्तावेज का विवरण
01	निविदा शुल्क 1000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस जयपुर, 500 रूपये भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को निविदा दस्तावेज के साथ ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
02.	बिड सिक्योरिटी राशि 0.60/– लाख का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan .gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
03.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि अथवा अण्डर टैकिंग।
04.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
05.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
06	फर्म/ संवेदक का रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने का 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र
07	वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
08	आयकर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
09	फर्म ब्लेक लिस्ट नही होने का 100 रू. का स्टाम्प पर शपथ पत्र।
10	फर्म का अंतिम 03 वर्ष का औसम टर्नऑवर निविदा राशि के 50 प्रतिशत के बराबर या अधिक होना चाहिए। फर्म को सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11	निविदा की समस्त शर्तो के स्वीकार करने के लिये निविदा परिपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर एवं सिल लगाकर निविदा परिपत्र की प्रतिलिपि अपलोड करना।
12	निविदा में सलंग्न परिशिष्ट की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड़ करनी अनिवार्य होगी।

नोट :– उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 से 12 तक निर्धारित मापदण्डों हेतु आवश्यक उलेखित दस्तावेज ई–निविदा में तकनिकी बिड के साथ अपलोड करने होगें। अपलोड किये गये दस्तावेजों के संबंध में निविदा समिति निविदादाता से स्पष्टिकरण मांगने हेतु स्वतंत्र है। निविदादाता द्वारा स्पष्टीकरण के लिये दी गई समयवधि में प्रस्तुत नही करने पर निविदादाता को तकनीकी बिड के मुल्यांकन में अयोग्य घोषित करते हुवे। उसकी वित्तिय बिड नहीं खोली जायेगी। उक्त निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। सभी स्टाम्प पृथक–पृथक होने चाहिए तथा एक स्टाम्प पर एक से अधिक घोषणा पाई जाती है तो निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

9

1. **निविदा की सामान्य शर्ते :–**

1. निविदा प्रक्रिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रो को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता हे। इन निविदाओ में भाग लेने वाले संवेदको को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करानी होगी। इस निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तो को विभाग की वेबसाईट www.bikanermc.org. एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
2. निविदा शुल्क 1000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस 500 रूपये भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. बिड सिक्योरिटी राशि 0.60/– लाख का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan .gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। असफल निविदादाता की बयाना/ईएमडी राशि/बिड सिक्योरिटी राशि सफल निविदादाता से अनुबंध करने के पश्चात् लौटा दी जावेगी एवं सफल निविदादाता की बयाना/ईएमडी राशि/बिड सिक्योरिटी राशि निविदादाता की स्वीकृति देने पर प्रतिभूति राशि में समायोजित भी की जा सकती है या निविदादाता द्वारा निवेदन करने पर निविदा राशि की 2.5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि प्राप्त होने के पश्चात् वापस लौटा दी जावेगी।
4. निविदा द्वि–स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार आमंत्रित की गई है जिसमें प्रथम भाग तकनीकी बिड का होगा जिसमें तकनीकी निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिये निर्धारित तकनीकी मापदण्डों से संबंधित प्रतियां ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तिय बिड होगी। जिसमें दर ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप मे प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड मे योग्य पाये जाने पर सफल निविदादाताओ की वित्तिय बिड खोली जायेगी, जिसके लिये अलग से वित्तिय बिड खोलने की सूचना प्रेषित कर दी जायेगी।
5. संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिए वित्तीय निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में ऑनलाईन प्रस्तुत की जायेगी (प्रस्तुत दरों पर जीएसटी अतिरिक्त देय होगी) :–

क्र. सं.	कार्य प्रकृति	निर्धारित पारिश्रमिक प्रति श्रमिक	ईपीएफ	ईएसआई	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज	जीएसटी दर (3+4+5+6का 18 प्रतिशत)	कुल राशि (01 वर्ष)
01	02	03	04	05	06	07	08
01	उपरोक्त लिखित कार्य हेतु पशु चिकित्सक योग्यता:– भारत में मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा संस्थान से से पशु चिकित्सक की डिग्री	50,000/–	लागू नही	लागू नही	.....	18 प्रतिशत	.....
02	उपरोक्त लिखित कार्य हेतु पशु चिकित्सक योग्यता:– भारत में मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा संस्थान से पशु कंपाउडर की डिग्री	15,000/–	लागू नही	लागू नही	.....	18 प्रतिशत	.....
03	उपरोक्त लिखित कार्य हेतु (अर्द्धकुशल) श्रमिक	7046/–	12.00 प्रतिशत	3.25 प्रतिशत	.....	18 प्रतिशत	.....

नोट :– सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज शून्य, ऋणात्मक, पॉईंटों (पेसो में) नही होना चाहिए।

6. संवेदक द्वारा नियोजित अस्थाई श्रमिकों को मासिक मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही करना होगा। जमा करायी गयी राशि का विवरण बिल के साथ निगम द्वारा मांगे जानें पर उपलब्ध कराना होगा।
7. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किये जायेगें। नगर निगम इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा। दरे एफ एण्ड आर या सभी कर संहित होगी।
8. निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क वापिस नहीं किये जायेगें।
9. निविदा में भाग लेने से पूर्व निविदादाता को कार्य की प्रकृति कार्य स्थल की सामान्य जानकारी आदि का निरीक्षण या जानकारी कर लेने की सलहा दी जाती है इससे संबंधित व्यय निविदादात को व्यय करना होगा।
10. अनुबंध की अवधि समान्यत 01 वर्ष की होगी परन्तु इसे परिस्थिति के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है तथा इससे कभी भी समाप्त किया जा सकता है।
11. न्यूनतम अवधि एवं न्यूनतम श्रमिक की कोई गारन्टी नही है एवं इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
12. निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम शर्तो को ध्यान में रखते हुवे वित्तिय प्रष्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। निविदादाता द्वारा वित्तिय बिड मे प्रस्तुत दरें निविदा की सम्पूर्ण समयावधि में फिक्स रहेगी।
13. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/निविदा को प्रत्याहत नहीं कर सकेगा।
14. निविदा एवं कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तो, विवरण पर जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व नगर निगम बीकानेर में कार्यालय में समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
15. निविदा की अवधि 01 वर्ष की होगी। कार्य संतोषजनक होने पर एवं नई निविदा किसी कारणवंश नही होने पर नगर निगम आयुक्त कार्य की समयावधि 06 माह बढाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोषजनक होने पर कार्य की समयावधि 01 वर्ष बढाई जा सकती हैं एवं कार्य

संतोषजनक नही होने अथवा अन्य परिस्थितियों होने पर किसी भी समय निगम निविदा निरस्त कर सकता हैं जिस पर कोई वाद मान्य नही होगा तथा न ही संवेदक को संविदा में बचे हुए समय के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।

16. नगर निगम के द्वारा दर स्वीकृति पत्र देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएं 07 दिवस मे पूर्ण करनी होगी :–
    1. नियमानुसार अनुबंध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प (राशि नियमानुसार) पर प्रस्तुत करना होगा। जिसका वहन आवेदक को करना होगा।
    2. निविदा की राशि के 02 प्रतिशत या ईएमडी राशि/बिड सिक्योरिटी राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन होने की स्थिति केवल निविदा राशि की 0.5 प्रतिशत राशि के बराबर राशि कार्य प्रतिभूति राशि को निगम में जमा करानी होगी।
17. प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 90 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है एवं कार्य की समयावधि बढ़ाने पर प्रतिभुति राशि की समयावधि भी संवेदक को बढ़वानी होगी। यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है। तो नगर निगम बीकानेर इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए आर.टी.पी.पी. अधीनियम 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L_2)को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।
18. निविदादाता द्वारा कार्य नही करने पर रिस्क एंड कोस्ट अन्य फर्म से कार्य करवाया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य करवाये जाने पर अंतर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुवे आर.टी.पी.पी अधिनियम 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013 की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
19. निविदा संबंधित आर.टी.पी.पी अधिनियम 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013, जी.एफ. एंड ऐ.आर तथा वित्तिय विभाग के सभी नियम यथा परिवर्तन लागू होगें। किसी शर्ते की पालना नही करने पर निविदा शर्तो का उल्लघंन माना जायेगा।
20. सभी प्रकार के न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा।
21. **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण** :– प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशत समपहरण किया जा सकेगा।
    1. जब संविदा के किसी निबन्धन और शर्तो को भंग किया जाता है।
    2. जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।
    3. जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नही करता है।
    4. प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस संबध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
22. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि –
    1. निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नही रखता हो।
    2. निविदा के साथ धरोहर राशि/बिड सेक्युरिटी घोषणा पत्र जमा नहीं किया गया हो।
    3. जानबुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।
    4. क्रय समिति बिना कारण बताये निविदा को निरस्त कर सकती है।
23. समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि क पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम बीकानेर उतरदायी नही होगा। निविदा दस्तावेज/शुद्धिपत्र/संशोधन ई–प्रोक्योरमेंट/एस.पी.पी.पी. पॉर्टल से डाउनलोड नहीं होने पर नगर निगम उतरदायी नहीं है।
24. मांगे जाने पर तकनीकी स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिये नगर निगम बाध्य नहीं है। कार्य आदेश देने के पूर्व तक नगर निगम सभी निविदाओं को निरस्त कर सकता है।
25. निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए टेण्डर स्वीकार नही किया जावेगा।
26. Joint Venture फर्म निविदा में भाग नही ले सकती है।
27. सफल निविदादाता द्वारा 01 वर्षो की कार्य अवधि या नगर निगम द्वारा बढाई गई समयावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एंव किसी भी तरह का नगर निगम में बकाया नहीं होने के 02 माह पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
28. निविदा खोलेने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण निविदाऐ नही खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदाये खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
29. निविदा दाता द्वारा प्रदत दरो में सभी व्यय व कर सम्मिलित किये जावेंगे, प्रदत दरे तकनीकी/वित्तिय निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता हैं। तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
30. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार आयुक्त नगर निगम बीकानेर को रहेगा। उक्त निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
31. इस निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का एकाधिकार (Absolute Right) निगम में निहित है। जिसका कारण बताने को निगम बाध्य नहीं है ।
32. निविदा में किसी भी तहर का विवाद होने पर अंतिम निर्णय नगर निगम का मान्य होगा। नियम एवं शर्तों में किये गये किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन का अधिकार आयुक्त के पास सुरक्षित होगा।
33. उक्त निविदा अनुबंध राज्य सरकार से विशेष निर्देश प्राप्त होने पर अनुबंध की अवधि को पूर्व में भी समाप्त किया जा सकेगा। जिसके लिए कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
34. निविदा से संबंधित किसी प्रकार की स्पष्टिकरण या सूचना की जानकारी के लिये पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :– नगर निगम कार्यालय, कीर्ति स्थभ के पास बीकानेर–334001,
    ई–मेल nagarnigambikaner@gmail.com मोबाईल नं0 0151–2226906, 0151–2226902

3. उपलब्ध करवाये जानें वाले श्रमिकों के संबंध में निविदादाता को दिशा–निर्देश :–

1. कार्य में आवश्यकता के अनुसार चिकित्सक, कंपाउडर, श्रमिक फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें।
2. प्रत्येक श्रमिक वर्दी धारण करेगा। इसकी जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

4. कार्य क्षेत्र (Scope Of Work)

1. बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र को रेबीज मुक्त करनें के उद्धेश्य से पकड़े गये आवारा श्वान (नर/मादा) का बंध्याकरण एवं रेबीज टीकाकरण करना होगा।

5. दुर्घटना :–

1. निविदा दाता को श्रम अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवायें गयें श्रमिक एवं वाहन चालक की मौके पर कार्य करते हुए या चलायमान स्थिति में किसी भी प्रकार की घटना घटित होने पर निविदा दाता वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा। निविदा दाता पर श्रम कानून के सभी नियम लागू होगे।
2. उक्त कार्य में लगे सभी श्रमिकों के बीमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
3. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर तथा श्रमिक की मृत्यू होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक को होगा।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार मजदूर के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
6. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त वाहन चालकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई. एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
7. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उतरदायी होगा।
8. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवना आदि देने का समस्त उतरदायित्व संवेदक का होगा।
9. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
10. निविदादाता द्वारा सफाई कार्यो पर लगाये गये व्यक्तियों के संबंध में लागू श्रम नियम/अधिनियम/उपनियम आदि की पालना ठेकेदार के द्वारा की जावेगी । नगर निगम बीकानेर का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा । इससे सम्बन्धित किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का दायित्व ठेकेदार का होगा।

6. निविदा प्रपत्र में संशोधन :–

1. नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.i एवं www.sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।
2. संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा एवं राज्य सरकार व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कोई आदेश/निर्देश भी इस निविदा का भाग माना जावेगा।

नोट :– भुगतान प्रक्रिया :–

1. प्रत्येक माह का बिल संबंधित प्रभारी द्वारा मय हस्ताक्षरमय सील प्रमाणीकरण साथ आगामी 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।
2. प्रभारी द्वारा उपस्थिति का सत्यापन/प्रमाणिकरण करने के पश्चात् भुगतान किया जायेगा।
3. समय पर एवं मांग अनुसार श्रमिक उपलब्ध ना करवानें पर 100 रूपयें प्रतिदिन प्रति श्रमिक के हिसाब से अतिरिक्त शास्ति लगायी जायेगी।

7. <u>वितीय बिड(द्वितीय भाग)</u>:– तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओ की वित्तीय बिड खोली जायेगी. निविदादाता निम्न प्रपत्र में ऑनलाईन दर प्रस्ताव देना होगा। जिसमें सभी प्रकार के कर निविदादाता को ही वहन करने होगें।

क्र. सं.	कार्य प्रकृति	निर्धारित पारिश्रमिक प्रति श्रमिक	ईपीएफ	ईएसआई	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज	जीएसटी दर (3+4+5+6का 18 प्रतिशत)	कुल राशि (01 वर्ष)
01	02	03	04	05	06	07	08
01	उपरोक्त लिखित कार्य हेतु पशु चिकित्सक योग्यता:– भारत में मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा संस्थान से से पशु चिकित्सक की डिग्री	50,000/–	लूग नही	लागू नही	.....	18 प्रतिशत	.....
02	उपरोक्त लिखित कार्य हेतु पशु चिकित्सक योग्यता:– भारत में मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा संस्थान से पशु कंपाउडर की डिग्री	15,000/–	लूग नही	लागू नही	.....	18 प्रतिशत	.....
03	उपरोक्त लिखित कार्य हेतु (अर्द्धकुशल) श्रमिक	7046/–	12.00 प्रतिशत	3.25 प्रतिशत	.....	18 प्रतिशत	.....

नोट :– सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज शून्य, ऋणात्मक, पॉईंटों (पेसो में) नही होना चाहिए।

दर प्रस्ताव प्रपत्र

नोट :– वित्तिय बिड में L-1 की गणना सर्वाधिक लाभ प्रद के आधार पर की जायेगी यदि दरें समान/बराबर आती है तो अधिकतम टर्नओवर/अनुभव के आधार पर L-1 का निर्धारण किया जायेगा।

निविदा प्रपत्र पढ़ एवं समझ लिया है इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर सील लगाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा मैं अपनी दर ऑनलाईन वित्तिय प्रस्ताव में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदादाता का नाम
व हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का पत्राचार हेतु पता, ई–मेल आई.डी., मोबाईल नम्बर अंकित करें.....

.....

.....

कार्यालय नगर निगम बीकानेर

–: अण्डर टेकिंग :–

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियों सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा कार्य प्रतिभूति राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा कार्य प्रतिभूति राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैनें/हमारे कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने/हमनें (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 120 दिवस से कम समय के लिए प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नही की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नही किया (4) निविदा प्रपत्र में अगर नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नही की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। इन वाहनों से संबंधित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किया जायेगें।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि कार्य प्रतिभूति राशि का कार्य संतोष जनक समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तो, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश की निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नही किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देतें है।

महामारी में बजट में फर्म रिस्क एंड कॉस्ट निविदा होने पर मेरे द्वारा भुगतान किया जायेगा या नगर निगम स्वतंत्र है।

दिनांक .....

निविदादाता का नाम
व हस्ताक्षर मय सील

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of ..... in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No .....of .....

Before the ..... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   .....
   .....
   ..... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
   .....
   .....
   .....

Place .....

Date .....

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Annexure E

Clause 1: Fair Wage Clause

(a) The Contractor shall pay not less than fair wages/minimum wages to labours engaged by him on the work as revised from lime to time by the Government, but the Government shall not be liable lo pay any thing extra for it except as stipulated in price escalation clause (clause 45) of the agreement.

Explanation: "Fair Wage" means minimum wages for time or piece work, fixed revised, by the Stale Government under the Minimum Wages Act, 1948.

(b) The Contractor shall, notwithstanding the provision of any contract to the contrary, cause to be paid fair wages lo labourers indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub-con tractors in connection with the said work as if the labourers have been immediately or directly employed by him.

(c) In respect of all labourers, immediately or directly employed on the work, for the purpose of the Contractor's part of this agreement, the Contractor shall comply with or cause to be complied with the Public Works Department Contractor's Labour Regulations made, or that may be made by the Government, from time to time, in regard lo payment of wages, wage period, deductions from wages, recovery of wages not paid, and unauthorised deductions, maintenance of wages register, wage card, publication of scale of wages and other terms of employment, inspection and submission of periodical returns and other matters of a like nature.

(d) The Engineer-in-charge shall have the right to deduct from the money due to the Contractor any sum required or estimated lo be required for making good the loss suffered by a worker or workers, by reasons of non-fulfilment of the conditions of the contract, for the benefit of the worker or workers, non-payment of wages or of deductions made there from, which are not justified by the terms of the contract, or as a result of non-observance of the aforesaid regulations.

(e) Vis-à-Vis the Municipal Corporation Jaipur, the Contractor shall be primarily liable for all payments to be made and for the observance of the regulations aforesaid, without prejudice lo his right to claim indemnity from his subcontractors,

(f) The regulations, aforesaid, shall be deemed to be part of this contract and any breach, thereof, shall be breach of the contract.

Clause 2: Contractor to engage technical staff

The Contractor shall engage the technical staff, as follows, on the contract works:-

(a) For works costing Rs. 100 lac and above- One Graduate Engineer.

(b) For works costing between Rs. 50 lac to Rs. 100 lac- One qualified diploma holder having experience of not less than 3 years.

(c) For works costing between Rs. 15 lac and Rs. 50 lac- One qualified diploma holder.

The technical staff should be available at site, whenever required by Engineer-in-charge to take instructions.

Clause 3 :
The Contractor shall comply with the provisions of the Apprenticeship Act, 1961, and the Rules and Orders issued, there under, from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of contract. The Contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the said Act.

Clause 4: Safety Code
The Contractor shall follow the safety code of electricity Strictly.

Clause 5:
Near Relatives barred from tendering
The Contractor shall not be permitted to lender for works in Circle, in which his near relative is posted as Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of the Superintending Engineer and Assistant Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons, who are working with him in any capacity, or are subsequently employed by him and who are near relatives to any gazetted officer in the Organization/Department. Any breach of this condition by the Contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of the Department. If such facts is noticed (a) before sanction of tender, his offer shall be declared in valid and earnest money shall be forfeited, (b) after sanction of the tender then the tender sanctioning authority may at his discretion forfeit his earnest money, performance guarantee, security deposit and enlistment deposit and the work/remaining work may allot to any registered contractor on the same rates as per rules.

Note: By the term 'near relative' is meant wife, husband, parents and grand-parents, children and grand children, brothers and sisters, uncles and cousins and their corresponding in-laws.

Clause 6: Retired Gazetted Officers barred for 2 years
No Engineer of Gazetted rank or other Gazetted Officer, employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the Government of Rajasthan, is allowed to work as a Contractor for a period of 2 years of his retirement from Government service without the previous permission of Government of Rajasthan. The contract is liable to be cancelled, if either the Contractor or any of his employees is found, at any time, to be such a person, who had not obtained the permission of Government, as aforesaid, before, submission of the tender or engagement in the contractor's service, as the case may be.

Clause 7: Quality Control
The Municipal Corporation Jaipur shall have right to exercise proper Quality Control measures. The Contractor shall provide all assistance to conduct such tests and shall bear the cost of all tests.

Clause 8:
The work (whether full constructed or not) and all materials, machines, tools and plant, scaffolding,

temporary buildings and other things connected therewith, shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Engineer- in -charge, and a certificate from him, to the effect, obtained.

Clause 9: Death of Contractor

Without prejudice to any of the rights or remedies under the contract, if the Contractor dies the legal heirs of the Contractor or the Chief Engineer or duly authorised Engineer shall have the option of terminating the contract without any compensation.

Clause 10 : Force Majeure

Neither party shall be liable to each other, for any loss or damage, occasioned by or arising out of acts or God such as-unprecedented floods, volcanic eruptions, earthquake of other invasion of nature and other acts.

Clause 11: General Discrepancies and errors:

In case of percentage rate tenders, if there is any typographical or clerical error in the rates shown by the department in the "G" Schedule. the rates as given in the basic Schedule of Rates of the Department for the area shall be taken as correct.

Clause 12 : Post payment Audit & Technical Examination:

The Government shall have right to provide a system of per-check of Contractor's bill by a specified Organization, and payment by an Engineer or an Accounts Officer/ Sr. Accounts Officer/ Chief Accounts Officer/ Financial Advisor, as the Government may in its absolute discretion prescribe. Any over-payments/ excess payment detected, as a result of such per-check post-check of Contractor's bill, can be recovered from the contractor's bills in the manner, herein before provided and the Contractor will refund such over/ excess payments.

Clause 13 : Check Measurements:

The department reserves to itself, the right to prescribe a scale of check measurement of work in general, or specific scale for specific works of by other special orders (about which the decision on the department shall be final) Checking of measurement by superior officer shall supersede measurements by the subordinate officer and the former will become the basis of the payment. Any over/excess payment detected, as a result of such check measurement or otherwise at any stage up to the date of completion and the defect removal period specified else-where in this contract, shall be recoverable from the Contractor, as any other dues payable to the Government.

Clause 14: Check Measurements:

The Contractor in course of the work should understand that all materials e.g. stone, bricks, steel and other materials obtainable in the work by dismantling etc. will be considered as the property of the Government and will be disposed off to the best advantage on the Government. As per direction of the Engineer-in-Charge.

Clause 15: Recovery from Contractors:

Whenever any claim against the Contractor for the payment of a sum of money arises out of or under the contract, the Department shall be entitled to recover such sum be appropriation in part or whole of the Performance Guarantee and / or Security Deposit. Security Deposit at the time of enlistment of the Contractor. In the event of the security being insufficient, or if no security has been taken, thereafter, may become due to the Contractor, under this or any other contract with the Governor of Rajasthan. Should this sum be not sufficient to cover the full amount recoverable the Contractor shall pay to the Department on demand the balance remaining dues.

The department shall, further, have the right to affect such recoveries under Public Demands Recovery Act.

Clause 16: Jurisdiction of Court:

In the event of any dispute arising between the parties hereto, in respect or any of the matters comprised in this agreement, the same shall be settled by a competent court having jurisdiction over the place, where agreement is executed any by no other court, after completion of proceedings under Clause 23 of this contract.